

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification
Creation of New Village

Published By

Name Mohd.Salim Khan
Designation Deputy Registrar Land Record
Mobile no. 9461429781
IP Address 164.100.145.30
On date 20/05/2024

Proposed By

Name BORTDRLR
Designation Tehsildar
Mobile no. 9461429781
IP Address 164.100.145.30
On date 08/05/2024

District Name Barmer
Sub District Name Gadraroad
Village Name (In English) Manohar
Village Name (In Local language) मणोहर
Village Effective Date 21/02/2013
Village Status Inhabitant
How to Village is Formed? New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type
86667	Shastri Gaon	PART

3157
4.3.13

NV

64

राजस्थान-सरकार
राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.9(18)राज./ ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक 21 FEB 2013

:- अधिसूचना:-

LR ✓
2
4/3/13

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बाडमेर की तहसील सिणधरी, बाडमेर, शिव एवं रामसर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजसों/ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की मूल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र०सं	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी कि०मी ०में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बाडमेर/ सिणधरी	दरगुडा	1038	1417	अचलेश्वर नगर	492	569	3.0	848
2.	बाडमेर/ बाडमेर	पांचाणियों की ढाणी	750	1024	ताजाणी गोदारों की ढाणी	258	518	3.0	506
3.	बाडमेर/ शिव	शास्त्री गाँव	775	1836	मणोहर	262	1136	10.0	700
4.	बाडमेर/ रामसर	खारा राठौडान	683	1160	झण्डसिंहपुरा	337	498	3.0	662

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बाडमेर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

3/3/13
LR 485
5/3/13

आज्ञा से,

(स्नेहलता पंवार)
संयुक्त शासन सचिव